NATIONAL CONVENTION OF WORKERS

15TH September 2014, NEW DELHI

DECLARATION

This National Convention of Workers being held under the banner of joint platform of all the Central Trade Unions of the country along with independent national federations/organizations from all the sectors and service establishments expresses deep concern at the unilateral move to amend the labour laws by a number of state governments and by the Central Govt. Most of the amendments sought to be done will have serious negative impact on the working conditions including trade union rights of the workers and the employees. It is unfortunate that in spite of the assurance given by the Labour Minister that Central Trade Unions will be consulted, these amendments in labour laws are being pushed through without any consultations with them.

The amendments passed by Rajasthan Assembly on 31st July, 2014 in Industrial Disputes Act, Factories Act, Contract Labour (Regulation & Abolition) Act and Apprenticeship Act will make hire and fire much easier for the employers and will result in rampant casualisation of employment. Liberalising the provisions of Factories Act will imperil the safety at work place in small and medium scale enterprises and will push majority of factories out of its coverage. Similarly raising the threshold employment ceiling of 20 to 50 workers for registration of contractors will enable the principal employer and contractor to become unaccountable for service conditions of the workers in a large number of enterprises. It is unfortunate that the Govt. being model employer deploys the largest number of contract workers and thereby depriving them of the security of job, wage and social security benefits.

The Amendment Bills already introduced in Parliament by the Central Govt on Factories Act, Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers for certain Establishments) Act and Apprentices Act are also designed to bring about such changes which will adversely affect the service conditions of the workers throwing overwhelming majority of them out of the coverage of all basic labour laws. **The Factories Act Amendment Bill introduced in Lok Sabha on 7th August 2014 further liberalises the coverage of factories under the Act as amendment proposed in definition of factories (Section 2m) authorizes States to fix number of workers for coverage under the Act. This will legitimize amendment already passed by Rajasthan Assembly on 31st July, 2014.** The Central Govt. is also considering amendments in Minimum Wages Act and Industrial Disputes Act. The amendment to Apprenticeship Act will pave the way for replacement of the contract/casual/ temporary workers and even regular workers by comparatively low paid apprentices. Moreover, these amendments will straightway empower and encourage the state governments to bring about pro-employer changes in labour laws as per the Rajasthan model. The process of amendments in labour laws is also aimed to do away with tripartite consultation mechanism.

In essence, all moves of amendments in the labour laws, both by the central government and by the Govt in Rajasthan are aimed at empowering the employers to retrench/lay off workers or declare closure/shut down at will and also resort to mass scale contractorisation. These are also designed to push out more than seventy per cent of the industrial and service establishments in the country and their workers out of the purview of almost all labour laws, thereby allowing the employers a free hand to further squeeze and exploit the workers.

The Convention also expressed dismay over the Govt's total inaction in implementing the consensus recommendations of 43rd, 44th and 45th Indian Labour

Conferences on formulation of minimum wages, same wage and benefits as regular workers for the contract workers and granting status of workers with attendant benefits to those employed in various central govt schemes. It is also noted with utter dismay that the present government is also continuing to ignore the ten point demands of entire trade union movement pertaining to concrete action to be taken for containing price-rise and aggravating unemployment situation, for strict implementation of labour laws, halting mass scale unlawful contractorisation, ensuring minimum wages for all of not less than Rs 15000 per month and universal social security benefits and pension for all including the unorganized sector workers etc. the demands also include compulsory registration of Trade Unions within 45 days and ratification of ILO Conventions 87 and 98.

The National Convention also denounced the retrograde move of the Govt in hiking/allowing FDI in Defence sector, Insurance, Railways and other sectors and also its aggressive move for disinvestment in PSUs including financial sector which will be detrimental to the interests of the national economy, national security as well as mass of the common people.

The Convention demands upon the Rajasthan Govt. to reverse the enacted amendments to the labour laws and urge upon the Central Govt. to desist from its unilateral move to amend labour laws and consult and honour the views of Central Trade Unions on the issue. The Convention also demands immediate steps to implement the consensus recommendations of successive Indian Labour Conferences and also positive response to long pending ten-point demands of the entire trade union movement of the country. The Convention urges the Central Govt to desist from mindless drive to liberalise FDI in defence, insurance, Railways etc and instead reverse the direction of the ongoing economic policy regime which has landed the entire national economy in distress and decline affecting the working people most.

The Convention calls upon all the trade unions, federations across the sector to widen and consolidate the unity at the grass-root level and prepare for countrywide united movement to halt and resist the brazen anti-worker and anti-people policies of the Govt and in preparation to the same undertakes unanimously the following programmes:

1. **State level joint conventions during September-October; wherever possible initiative may be taken to hold district-level and industry-level joint conventions**
2. **National Protest Day 5.12.2014 through massive joint demonstration in all state capitals. At Delhi Joint demonstration of workers from the neighbouring states will be held.**

The National Convention calls upon the trade unions and working people irrespective of affiliations to unite and make the above programme a massive success paving way for countrywide united struggle to resist the onslaught on the life and livelihood of working people throughout the country.

BMS INTUC AITUC HMS CITU

AIUTUC TUCC SEWA AICCTU UTUC LPF

and All India Federations of Banks, Insurance, Defence, Railways, Central/State Govt. Employees and other Service Establishments

श्रमिकों का राष्ट्रीय कन्वेंशन
15 सितंबर 2014 नई दिल्ली

देश के सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ--साथ सभी क्षेत्रों और सेवा प्रतिष्ठानों के फेडरेशनों/संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित श्रमिकों का यह राष्ट्रीय कन्वेंशन कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन की एकतरफा पहल पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। किये जा रहे अधिकांश संशोधनों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मजदूरों और कर्मचारियों के सेवा शर्तों जिसमें उनके ट्रेड यूनियन अधिकार भी शामिल हैं, पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रम मंत्री द्वारा केंद्रीय श्रम संगठनों को दिये गये आश्वासन के बावजूद कि केंद्रीय श्रम संगठनों से विमर्श किया जायेगा, श्रम कानूनों में इन संशोधनों को बिना उनसे किसी तरह के विमर्श के आगे बढ़ाया जा रहा है।

31 जुलाई 2014 को राजस्थान राज्य विधान सभा में पारित औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम और प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन, मालिकों के लिए रखो और भगाओ (हायर एंड फायर) को बहुत आसान बना देगा, जिसका परिणाम होगा कि नियोजन में भारी पैमाने पर निंकुश ढंग से आकस्मिकीकरण बढ़ेगा। कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के उदारीकरण से लघु और मझोले स्तर के प्रतिष्ठानों के कार्यस्थलों की सुरक्षा को खतरे में डालेगा और बहुसंख्यक कारखानों के अधिनियम के प्रावधानों से बाहर कर देगा। इसी तरह ठेकेदारों के निबंधन के लिए नियोजन के प्रवेश मार्ग की सीमा बढाकर 20 से 50 श्रमिक करने से बडी संख्या में प्रतिष्ठानों में ठेकेदार और प्रधान नियोजक को श्रमिकों की सेवा शर्तों के लिए अक्षम और अनुत्तरदायी बना देगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने आदर्श नियोजक होते हुए भी ठेके पर सर्वाधिक संख्या में ठेका श्रमिक नियोजित कर रखा है और उनकी नौकरी की सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें मोहताज बना रखा है।

कारखाना अधिनियम पर केंद्र सरकार द्वारा विधेयक का संशोधन बजाप्ता लोक सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। श्रम विधान (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रजिस्टर रखने और रिटर्न भेजने से छूट) और प्रशिक्षु अधिनियम (अप्रेंटिस एक्ट) भी इस तरह से परिवर्तन करने का डिजाइन किया गया है जो श्रमिकों के सेवा शर्तों पर बुरी तरह से नकारात्मक प्रभाव डालते हुए उनमें भारी बहुत के श्रमिकों को सभी बुनियादी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर फेंक देगा। 7 अगस्त 2014 को लोक सभा में पेश कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक फिर से कारखानों को अधिनियम के अंतर्गत उसके दायरे को और अधिक उदार बनाते हुए राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि वे फैक्टरी की परिभाषा में वर्करों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इससे राजस्थान सरकार द्वारा पास किये गये संशोधन को वैधता हासिल हो जायेगी। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी संशोधन करना चाह रही है। प्रशिक्षु अधिनियम का संशोधन ठेका मजदूर/आकस्मिक, अस्थायी श्रमिक और यहां तक कि नियमित स्थायी मजदूरों के बदले अल्प वेतन भोगी प्रशिक्षुओं से उनकी जगह भरने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधन राजस्थान मोडेल के तर्ज पर श्रम कानूनों में नियोजक पक्षी परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगा। श्रम कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया का उद्देश्य त्रिपक्षीय विमर्श तंत्र को कमज़ोर करना भी है।

कुल मिलाकर श्रम कानूनों में केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार संशोधन के द्वारा सारी पहल का उद्देश्य नियोजकों को श्रमिकों की छंटनी, लेऑफ और तालाबंदी के लिए शक्ति प्रदान करना है, जो बड़े पैमाने पर ठेकाकरण के तरफ जाने के लिए भी सहायक होगा। इसका खाका (डिजाइन) भी इस तरह से तैयार किया गया है कि देश के 70 फीसदी से अधिक उद्योगों और सेवा प्रतिष्ठानों और उनके श्रमिकों को लगभग सारे श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर नियोजकों को छूट देना है कि वे फिर से श्रमिकों को शोषण की ओर ढकेलने के लिए मुक्त हाथों से कार्य कर सकें। कन्वेंशन 43, 44, 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की

आम सहमति से न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, नियमित कर्मचारियों की तरह ठेका श्रमिकों के लिए भी समान मजदूरी, लाभ और केंद्र सरकार के विभिन्न स्कीमों/योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों और उसके सहायकों को लाभ के साथ उन्हें श्रमिकों का दर्जा देने के अनुशंसाओं और उसके कार्यान्वयन के प्रति सरकार के पूर्णतः नकारेपन पर भी गुस्सा/उद्वेग का इजहार करता है। कन्वेंशन भारी मन से यह भी अंकित करता है कि देश के संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन की 10 सूत्री मांगों, जिसमें महंगाई और भारी बेरोजगारी पर नियंत्रण, श्रम कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन, बड़े पैमाने पर ठेकाकरण पर विराम लगाना, कम से कम 15000 रूपया न्यूनतम मजदूरी भुगतान की गारंटी और सार्वभौमिक रूप से सामाजिक सुरक्षा लाभ और पेंशन देना जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी सम्मिलित हों आदि के कार्यान्वयन के प्रति वर्तमान सरकार भी टालमटोल जारी रखे हुए है। मांगों में यह भी शामिल है कि ट्रेड यूनियन निबंधन बाध्यकारी रूप से 45 दिन के अंदर हो और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कन्वेंशन 87 और 98 को सरकार अनुमोदित करे।

राष्ट्रीय कन्वेंशन रक्षा क्षेत्र, बीमा, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश लाने की स्वीकृति और वित्त क्षेत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश की प्रतिगामी आक्रामक पहल की निंदा करता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ–साथ बड़े पैमाने पर आम जनता के हित की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा।

कन्वेंशन राजस्थान सरकार से मांग करता है कि श्रम कानूनों में अधिनियमित संशोधन वापस ले और केंद्र सरकार से अपील करता है कि श्रम कानूनों में संशोधन की एकतरफा पहल को रोके और इन मुद्दों पर केंद्रीय श्रम संगठनों से संपर्क कर उनके विचारों को सम्मान दे। कन्वेंशन यह भी मांग करता है कि विगत भारतीय श्रम सम्मेलन की आम सहमति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाये और लंबे समय से लंबित देश के सभी ट्रेड यूनियनों की 10 सूत्री मांगों के कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक पहल करे। कन्वेंशन केंद्र सरकार से निवेदन करता है कि रक्षा, बीमा, रेलवे आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रति उदारीकरण के दिमागविहीन अभियान से बाज आये और इसके बदले पहले से चल रही आर्थिक नीतियों जिसने देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गिराया और संकट में डाला है और जिससे श्रमजीवी मेहनतकश जनता अधिकाधिक प्रभावित हुई है, उसे बदले।

कन्वेंशन सभी ट्रेड यूनियनों, सभी क्षेत्रों की फेडरेशनों व संगठनों का आह्वान करता है कि सरकार के मजदूर विरोधी और निर्ल्लज जन विरोधी नीतियों में रूकावट डालने और उसे रोकने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक एकता बनाने के लिए अपने को संकेद्रित करते हुए राष्ट्रव्यापी संयुक्त आंदोलन की तैयारी के लिए निम्न कार्रवाई करें:–

1. सितम्बर–अक्तूबर के बीच राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन और जहां संभव हो वहां उद्योग और जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन करें।

2. 5 दिसंबर 2014 को सभी राज्यों की राजधानियों में असरदार संयुक्त प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस आयोजित करें। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से श्रमिकों का संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा।

राष्ट्रीय कन्वेंशन ट्रेड यूनियनों और श्रमजीवी जनगण का आह्वान करता है कि अपनी सम्बद्धता का ख्याल किये बगैर एकताबद्ध होकर इन कार्यक्रमों को असरदार ढंग से सफल बनायें ताकि राष्ट्र स्तर पर जिंदगी और जीविका पर हमले को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी संयुक्त आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो सके।

बीएमएस आइएनटीयूसी एआईटीयूसी एचएमएस सीटू

एआईयूटीयूसी टीयूसीसी सेवा एआईसीसीटीयू यूटीयूसी एलपीएफ

और बीमा, रक्षा, रेलवे, केंद्रीय/राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अन्य सेवा प्रतिष्ठानों की सभी फेडरेशनें